बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या – 01/2019, सहायक अभियंता, असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित 09 अतिरिक्ति उम्मीदवारों की सूची एवं कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या – 01/2019 के अन्तर्गत दिनांक 12.03.2022 एवं 13.03.2022 को राज्य के 04 जिलों में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित सहायक अभियंता, असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 240 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन में कुल 07 उम्मीदवारों के अनुपस्थित होने एवं कुछ उम्मीदवारों द्वारा मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात की समीक्षा के पश्चात् आयोग कुल 09 अतिरिक्त उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित करता है, जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	एकल पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	बुधवार 20.07.2022	102686, 102934, 103869, 109563, 109628, 109961, 110111, 110330, 113863

टिप्पणी:

1. **उपर्युक्त सूची औपबंधिक रूप में मेरिट पर आनेवाले उम्मीदवारों की सूची है एवं इसे अन्तिम रूप से सफल उम्मीदवारों की सूची नहीं समझा जाए। उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) एवं विभाग आवंटन के उपरान्त अन्तिम परीक्षाफल हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी एवं उपरोक्त सूची में परिवर्तन हो सकता है।**
2. उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षित कोटि, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती इत्यादि के किये गये दावा के अनुसार सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:–

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) (क) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से सिविल अभियंत्रण में डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ख) UGC द्वारा मान्यताप्राप्त सम विश्वविद्यालयों (Deemed University) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(ग) अभियंत्रण संस्थान का सह–सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा–"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं क संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा–"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

(iii) उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र/आचरण प्रमाण–पत्र।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक – 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में इस विज्ञापन के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति (03) कोटि के अन्तर्गत आवेदन करनेवाले लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) कोटि में मान्य किया गया है। तदालोक में उन्हें क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।**

(vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।**

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक – 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।

(ix) निःशक्तता संबंधी वैध प्रमाण पत्र।

नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(x) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र। **मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा।**

(xi) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xiii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xiv) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (**Recent Coloured Photograph**)।

(xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

3. **यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है। शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (10.04.2019) के पूर्व का होना आवश्यक है।

4. **ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किये दावा के अनुसार शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती का प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।**

5. **उम्मीदवारों को विभागों के लिए अधिमानता भरना अनिवार्य होगा। अधिमानता अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त विभाग के पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त विभाग का पद मेधा क्रम में उससे नीचे स्थित उम्मीदवार को उसके द्वारा भरी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित कर दिया जायेगा।**

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उम्मीदवार द्वारा किसी भी विभाग के पद के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची में रहने एवं पद उपलब्ध रहने के बावजूद भी उम्मीदवार को किसी विभाग का पद आवंटित नहीं किया जायेगा।

6. **सभी उम्मीदवार अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।**

7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

8. **उम्मीदवार कोरोना संकमण (कोविड–19) के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन SOP का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।**

13.7.22

तिथि: 13 जुलाई, 2022

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना